न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, जयपुर

अपील जीसीएमएस नम्बर 2025/673.

1. कालीचरण दत्तक पुत्र गिरधारीलाल उम्र 71 वर्ष जाति ब्राहमण निवासी ग्राम ढावावाली तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर वर्तमान जिला नीमकाथाना।

—अपीलान्ट

बनाम

1. धर्मदत्त शर्मा पुत्र स्व0 श्री रूडमल जाति ब्राहमण निवासी ग्राम ढावावाली तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर वर्तमान जिला नीमकाथाना हाल निवासी मकान नु0 80/429 शंकराचार्य मार्ग, मानसरोवर जयपुर राज0।
2. भूपेन्द्र पुत्र स्व0 श्री रूडमल,
3. सचिन शर्मा पुत्र स्व0 श्री रूडमल जाति ब्राहमण निवासी ग्राम ढावावाली तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर वर्तमान जिला नीमकाथाना।
4. सरपंच ग्राम पंचायत सिहोडी तहसील श्रीमाधोपुर जिला नीमकाथाना।

—रेस्पोडेन्ट्स

अपील अर्न्तगत धारा 76 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 विरुद्ध अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर, जिला नीमकाथाना के प्रकरण संख्या 03/2021 (जीसीएमएस नम्बर 2021/102 उनवानी धर्मदत्त शर्मा बनाम कालीचरण निर्णय दिनांक 29.01.2024 अपील विरूद्ध नामांतरकरण संख्या 04 दिनांक 15.03.1988 ग्राम पंचायत सिहोडी पर पारित किया गया।

उपस्थित :–

1. श्री के.आर.शर्मा, अधिवक्ता अपीलान्ट्स।
2. श्री अशोक कुमार शर्मा, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट्स संख्या 1 लगायत 3 की ओर से।
3. रेस्पोडेन्ट संख्या 4 की ओर से कोई उपस्थित नहीं।

निर्णय

दिनांक–25.07.2025

1. यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर जिला नीमकाथाना के निर्णय दिनांक 29.01.2024 के खिलाफ प्रस्तुत हुई है।
2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर जिला नीमकाथाना के समक्ष हाल रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने एक अपील नामान्तकरण संख्या 04 दिनांक 15.03.1988 ग्राम पंचायत सिहोडी के विरूद्व पेश की गई। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर ने अपीलाधीन निर्णय दिनांक 29.01.2024 से अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील नामान्तकरण को स्वीकार की जाकर तथा सरपंच, ग्राम पंचायत सिहोडी पंचायत समिति श्रीमाधोपुर जिला सीकर के नामान्तकरण संख्या 04 स्वीकृत नामान्तकरण दिनांक 15.03.1988 को खारिज किया जाकर तथा प्रकरण को भूमिधारी तहसीलदार श्रीमाधोपुर को रिमाण्ड किया जाकर आदेशित किया गया कि वे प्रकरण में उभय पक्षकारान् को सुनवाई का समुचित अवसर दिया जाकर बाद सुनवाई गुणावगुण के आधार पर निर्णय पारित करने के आदेश पारित किये गये।

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर जिला नीमकाथाना के उक्त निर्णय दिनांक 29.01.2024 से व्यथित होकर अपीलान्ट कालीचरण दत्तक पुत्र गिरधारीलाल द्वारा यह अपील प्रस्तुत कर अपील स्वीकार करने एवं अपीलाधीन आदेश उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर जिला नीमकाथाना का निर्णय दिनांक 29.01.2024 निरस्त करने की प्रार्थना की गयी है।

4. अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोडेन्ट्स की तलबी की गई। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया। उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई।

5. अपीलान्ट के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि यह कि अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर जिला नीमकाथाना द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांकित 29.01.2024 विरूद्ध कानून तथा विरूद्ध पत्रावली है। कानूनी स्थिति के मुताबिक मियाद बाहर अपील तब तक सक्षम नहीं होती है जब तक कि मियाद बिन्दु का निस्तारण करके अपील को अंदर मियाद शुमार किये जांने निमित आदेश पारित कर दिया जावे। अपील को अंदर मियाद शुमार किये जाने बाबत आदेश पारित किये जाने के पश्चात् ही अपील में आगे की सुनवाई की जा सकती हैं। योग्य अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस आदेशात्मक विधिक स्थिति की अवहेलना करते हुए अवैध रूप से अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है जो किसी भी स्थिति में स्थिर रहने योग्य नहीं है। स्वीकृत रूप से योग्य अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष ग्राम पचायत सिहोडी द्वारा स्वीकृत किये गये नामांतरकरण संख्या 04 दिनांक 15.03.1988 के खिलाफ रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 द्वारा दिनांक 07.04.2021 को 33 वर्ष के अत्यधिक विलम्ब के पश्चात् अपील प्रस्तुत की गई थी। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 द्वारा अपील को अवधि बाधित मानते हुए मियाद माफी निमित धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत किया गया था परन्तु योग्य अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपील में मियाद बिन्दु तय किये बिना ही अपील को गुणावगुण पर निस्तारित कर दिया गया। इस कारण अपीलाधीन निर्णय विधिक प्रावधानों के कतई विपरीत रहने के कारण स्थिर रहने योग्य नहीं है प्रथम दृष्टया ही काबिले खारिज है।

योग्य अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली में दिनांक 18.01.2024 को आगामी तारीख पेशी दिनांक 14.02.2024 निर्धारित कर दी गई थी परन्तु बिना अपीलांट एवं उसके अधिवक्ता को सूचित किये बिना ही अपीलांट एवं उसके अधिवक्ता को सुनवाई का अवसर प्रदत्त किये बिना ही अपीलाधीन निर्णय दिनांक 29.01.2024 पारित कर दिया गया। योग्य अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय पारित करते समय इस तथ्यात्मक एवं कानूनी स्थिति की ओर गौर किये बिना भारी भूल की गई है कि रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 को योग्य अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष ग्राम पंचायत सिहोडी द्वारा स्वीकृत किये गये नामांतरकरण संख्या 4 के खिलाफ अपील प्रस्तुत करने का कोई अधिकार ही प्राप्त नहीं था क्योंकि अपीलांट के दत्तक पिता गिरधारी की एक बंहिन श्योकोरी भी थी जिसके वारिसान मौजूद है। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 द्वारा योग्य अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पेश की गई अपील में अंकित वंशावली में रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 द्वारा उक्त स्थिति को छुपाया गया था। उक्त तथ्य अपीलांट द्वारा योग्य अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष ला दिये जाने के बावजूद योग्य अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त तथ्य को नजर अंदाज करते हुए अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है इस कारण भी अपीलाधीन निर्णय स्थिर रहने योग्य नहीं हैं। अपीलांट मृतक खातेदार गिरधारी पुत्र गंगासहाय का दत्तक पुत्र है इस तथ्य को साबित करने के लिए योग्य अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष किता 50 दस्तावेजात पेश किए गए थे। योग्य अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट की ओर से प्रस्तुत किए गए उपरोक्त दस्तावेजात का कोई विवेचन, विश्लेषण एवं मूल्यांकन अपीलाधीन निर्णय मे नहीं किया गया, इस कारण भी अपीलाधीन निर्णय स्थिर रहने योग्य नहीं है। योग्य अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय पारित करते समय इस स्थिति की ओर गौर नहीं किया गया कि ग्राम पंचायत सिहोडी द्वारा स्वीकृत नामांतरकरण संख्या 4 दिनांक 15.03.1988 के सम्बन्ध में रेस्पो० संख्या 1 लगायत 3 द्वारा अपीलांट के खिलाफ फौजदारी कार्यवाही भी प्रारम्भ कर दी गई थी जिनमें रेस्पो० संख्या 1 लगायत 3 द्वारा की गई कार्यवाही को गलत मान्य किया गया था। इसके अलावा सन् 1988 के पश्चात् से विवादित जमीन की लगान भी अपीलांट द्वारा ही अदा की जाती रही है इस निमित अपीलांट की ओर से पेश की गई लगान की रसीदों को

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

योग्य अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अनदेखा किया गया। अपीलांट द्वारा विवादित भूमियों पर सन् 1991 से विद्युत विभाग से विद्युत कनेक्शन भी प्राप्त किया हुआ है जिससे विवादित भूमियों की सिंचाई की जा रही है। इस निमित प्रस्तुत की गई साक्ष्य को भी अनदेखा करते हुए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है जो किसी भी स्थिति में स्थिर रहने योग्य नहीं है। योग्य अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस कानूनी स्थिति पर गौर किये बिना अपीलाधीन निर्णय पारित करने में कानूनी भूल की गई है कि पुराने दत्तक को अमान्य करने वाले व्यक्ति को दत्तक न होने के तथ्य को साबित करना होता है, इस कारण भी अपीलाधीन निर्णय स्थिर रहने योग्य नहीं है।

रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 धर्मदत्त शर्मा रेस्पोन्डेन्ट संख्या 2 व 3 का सगा भाई है। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 3 सचिन द्वारा भी सन् 1995 में ही अपीलांट के खिलाफ विवादित भूमि के सम्बन्ध में योग्य अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष चैलेंज किये गये नामांतरकरण संख्या 4 दिनांक 15.03.1988 के सम्बन्ध में झूठी एफ.आई.आर. संख्या 148/1995 दर्ज करवाई गई थी जिसमें पुलिस द्वारा पूर्ण तहकीकात करके अदम वकूल झूठ बताकर एफ०आर० लगा दी गई थी और एफ०आर० के सम्बन्ध में न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर परिवादी सचिन ने एफ०आर० स्वीकार कर ली थी। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 ने रेस्पो० संख्या 3 सचिन से ही उक्त कार्यवाही करवाई थी। इसके काफी लम्बे समय पश्चात रेस्पो० संख्या 1 द्वारा योग्य अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष सर्वथा झूठे कथनों के आधार पर अपील संख्या 3/2021 प्रस्तुत की गई है। योग्य अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपील संख्या 3/2021 में पारित निर्णय दिनांक 29.01.2024 की पालना में रेस्पो० संख्या 1 रेस्पो० संख्या 4 से मिलकर यथाशीघ्र अवैध निर्णय पारित करवाकर प्रस्तुत अपील में वर्णित विवादित भूमियां खसरा नम्बर 119, 120 तन ग्राम गीदावाली ढाणी तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर वर्तमान जिला नीमकाथाना के राजस्व रिकार्ड में वैध रूप से अपना नाम अंकित करवाने में आमादा फसाद हो रखा है इसलिए न्यायहित में तादौराने अपील अपीलाधीन निर्णय दिनांकित 29.01.2024 की क्रियान्विति स्थगित रखा जाना उचित, आवश्यक एवं न्याय संगत हैं। अतः अपील प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जाकर योग्य अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर जिला नीमकाथाना द्वारा अपील संख्या 3/2021 उनवानी धर्मदत्त शर्मा बनाम कालीचरण आदि में पारित निर्णय दिनांकित 29.01.2024 निरस्त फरमाया जावे एवं रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत की गई अपील को खारिज फरमाया जावे।

6. रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 3 की ओर अधिवक्ता ने दौराने बहस अपील का विरोध करते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि अपीलाण्ट ने यह अपील न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर के यहॉ प्रकरण संख्या 3/2021 निर्णय दिनांक 29.01.2024 के विरूद्ध बाबत नामान्तरकरण संख्या 4 दिनांक 15.03.1988 एवं ग्राम पंचायत सिहोडी के विरूद्ध द्वितीय अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की है तथा उनके द्वारा अनुतोष चाहा है कि "अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर योग्य अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर अपील संख्या 03/2021 में पारित निर्णय दिनांक 29.01.2024 को निरस्त फरमाया जावे एवं रेस्पोडेन्ट सं. 1 द्वारा प्रस्तुत की गयी अपील को खारिज फरमाया जावें।" इस प्रकार अपीलाण्ट ने अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर को चुनौति देकर उसके द्वारा पारित निर्णय को निरस्त फरमाने की इस्तदुआ की है अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर ने चुनौतिग्रस्त निर्णय के द्वारा प्रश्नगत नामान्तरकरण संख्या 4 दिनांक 15.03.1988 को खारिज कर प्रकरण तहसीलदार को पुनः रिमाण्ड किया गया तथा निर्देश दिये गये थे कि दोनों पक्षों को सुनवायी का समुचित अवसर दिया जाकर पुनः गुणावगुण के आधार पर निर्णय पारित किया जावें। जिसके खिलाफ चुनौतिग्रस्त अपील जैरकार है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार श्रीमाधोपुर द्वारा प्रकरण रिमाण्ड होने पर पुनः मुकदमा नम्बर 05/2024 के रूप में दर्ज कर गुणावगुण के आधार पर निर्णय करने हेतु प्रकरण दर्ज कर नोटिस पक्षकारान की

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

तलबी हेतु जारी कर दिया गया। जिससे व्यथित होकर अपीलान्ट ने एक निगरानी माननीय राजस्व मण्डल अजमेर के यहां निगरानी संख्या 1799/2024 कालीचरण बनाम धर्मदत्त शर्मा प्रस्तुत की गयी। जिसमें दिनांक 27.05.2024 को निर्णय किया जाकर निगरानी जो कालीचरण द्वारा पेश की गयी थी जो एडमीशन स्टेज पर ही निरस्त फरमा दी गयी। इस प्रकार स्पष्ट है कि जो प्रकरण उपखण्ड अधिकारी के रिमाण्ड करने पर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार द्वारा प्रकरण दर्ज कर लिया गया तथा प्रकरण दर्ज करने अथवा न करने के प्रश्न पर ही पक्षकार/अपीलान्ट माननीय राजस्व मण्डल अजमेर के यहां निर्णय करवा चुका है। इस कारण उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर के द्वारा जो निर्णय दिया वह उचित व न्यायसंगत है तथा अपीलान्ट ने उसी निर्णय को इस न्यायालय में चुनौती दी है इस प्रकार स्पष्ट है कि जो निर्णय उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर द्वारा दिनांक 29.01.2024 को पारित किया गया व उसके आधार पर तहसीलदार ने मुकदमा नम्बर 5/2024 के रूप में दर्ज कर लिया गया उसको अपीलाण्ट द्वारा राजस्व मण्डल अजमेर में चुनौती दिये जाने पर उसकी निगरानी खारिज कर दी गयी इस कारण उक्त निर्णय अप्रत्यक्ष रूप से सही व न्यायोचित अपर न्यायालय द्वारा निर्धारित कर दिया गया इस कारण यह अपील अब इस न्यायालय में उस विधिक बिन्दु पर कानूनन अब चलने योग्य नहीं है इस कारण यह अपील इन्फेक्चुअस हो चुकी है इस कारण यह अपील इसी स्टेज पर खारिज होने योग्य है। उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि पक्षकारान् अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार व राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के यहां चुनौतिग्रस्त निर्णय की वैद्यता व तथ्यों के आधार पर कानूनी चाराजोही कर रहे है तथा मूल आदेश उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर का जो आदेश दिनांक 29.01.2024 को पारित किया गया उसकी पालना में न्यायालय तहसीलदार श्रीमाधोपुर द्वारा प्रकरण दर्ज कर लिया गया तथा उसकी वैद्यता की निगरानी राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर में निर्णित हो चुकी है जिसका अर्थ यह हुआ कि एस.डी.ओ. श्रीमाधोपुर का जो मूल निर्णय इस अपील में चुनौतिग्रस्त है उसके आधार पर प्रकरण दर्ज कर निगरानी माननीय राजस्व मण्डल अजमेर के द्वारा तय की जा चुकी है इस कारण उसकी वैद्यता पर इस न्यायालय को सुनने का कोई कानूनी महत्व नहीं रह गया है तथा उसके पश्चात् दोनो पक्ष अधीनस्थ न्यायालय में रिमाण्ड आदेश की अनुपालना में उपस्थित होकर समस्त गवाहान व दस्तावेजात् व लिखित बहस पेशकर प्रकरण वर्तमान में निर्णय व बहस अन्तिम नियत है इस कारण एक ही निर्णय अर्थात उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर के मूल निर्णय दिनांक 29.01.2024 की चाराजोही दो न्यायालयों में अर्थात् इस न्यायालय व न्यायालय तहसीलदार श्रीमाधोपुर के यहां चल रही है इस कारण इस न्यायालय द्वारा जो अपील विचाराधीन है वह इन्फेक्चुअस हो चुकी है।

अतः अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार श्रीमाधोपुर के प्रकरण संख्या 05/2024 की आदेशिका व नामान्तरकरण संख्या 4 व उसकी पूर्व की स्थिति अर्थात् दिनांक 15.03.1988 से पूर्व की स्थिति दिनांक 28.08.2024 को खारिज अर्थात् नामान्तरकरण संख्या 4 को अन्तिम रूप से दिनांक 28.08.2024 को खारिज करते हुए पूर्व की स्थिति बहाल कर दी गयी तथा उक्त नामान्तरकरण आदेश अन्तिम हो चुका है की प्रति व अपीलाण्ट द्वारा माननीय राजस्व मण्डल अजमेर के यहां प्रकरण पुनः दर्ज करने बाबत निगरानी संख्या 1799/2024 के निर्णय की प्रति व निगरानी खारिज होने पर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार द्वारा पुनः निर्णय हेतु दिनांक 19.06.2024 की आदेशिका जिसमें दोनो पक्षों द्वारा लिखित बहस प्रस्तुत होकर बहस अन्तिम सुनी जाकर निर्णय हेतु पत्रावली नियत कर दी गयी थी लेकिन उसके पश्चात् पक्षकार/अपीलाण्ट द्वारा पुनः समुचित अवसर हेतु आवेदन प्रस्तुत करने पर पुनः अवसर दिया जाकर साक्ष्य सबूत प्रस्तुत होने पर अब पत्रावली पुनः बहस व निर्णय हेतु नियत है। प्रस्तुत अपील इन्फेक्चुअस हो जाने के कारण अपील मय खर्चा खारिज फरमाया जावें क्योकि चुनौतिग्रस्त निर्णय की अनुपालना में पक्षकारान् अधीनस्थ न्यायालय में प्रकरण दर्ज होने

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

पर उसकी निगरानी राजस्व मण्डल अजमेर में होने पर मण्डल के आदेशानुसार प्रकरण में सुनवायी पूर्ण की जाकर पुनः बहस व निर्णय हेतु पत्रावली अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार श्रीमाधोपुर के यहां विचाराधीन है जहां पर सुनवायी पूर्ण हो चुकी है इस कारण इस अपील का कोई कानूनी औचित्य नहीं रह गया है इस कारण अपील इन्फेक्चुअस हो जाने के कारण खारिज फरमायी जावें। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिक्र प्रावधानों के अनुसार ही अपीलाधीन आदेश दिनांक 29.01.2024 पारित किया गया है, जो उचित एवं विधिसम्यक है। अपील अपीलान्ट खारिज की जावे।

7. हमने प्रकरण के अभिलेखों को देखा। प्रकरण के तथ्यों पर विचार किया एवं उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर जिला सीकर की पत्रावली व निर्णय के अवलोकन से जाहिर होता है कि प्रकरण मुख्यतः विवाद खातेदार गिरधांरी पुत्र गंगासहाय जाति ब्राहमण सा0 देह के निःसंतान अविवाहित अवस्था में फौत होने पर उसकी विरासत के नामान्तकरण को लेकर है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों एवं राजस्व रिकॉर्ड अंतिम चौसाला आधार जमाबंदी सम्वत् 2044–2047, नामान्तकरण संख्या 4, गिरदावरी सम्वत् 2013 से 2016, ईकरारनामा बाबत पारिवारिक समझौता, प्रथम सूचना रिपोर्ट की फोटोप्रति, अन्तिम प्रतिवेदन रिपोर्ट, पंचों की बैठक कार्यवाही के विवरण का रजिस्टर, ओमांशकर पुत्र बालाबक्स उर्फ बालूराम जाति बडवा गांव दूदू जिला जयपुर राजस्थान द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र (हलफ नामा), विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावली, 1983, पंचायत चुनाव निर्वाचक नामावली 2020 राशन कार्ड कालीचरण, निर्णय दिनाक 04.03.2004 की फोटो प्रति, ग्राम पंचायत सिहोड़ी द्वारा जारी प्रमाण पत्र दिनांकित 26.12.1984, उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र दिनांकित 09.03.1987, ग्राम पंचायत सिहोडी की बैठक दिनांक 09.03.1987 के प्रस्ताव संख्या 3 की फोटोप्रति, न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट, नीमकाथाना की पत्रावली की आदेशिका की फोटो प्रति, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, राजस्थान सरकार के आदेश कमांकः एफ 15 (69) परावि/विधि/ग्रा.पं. मार्ग/जयपुर /2019/1801 दिनांक 30.08.2019 के द्वारा पंचायतों को कुर्सीनामा/उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र जारी करने की शक्ति, प्रक्रिया व नियमों के सम्बन्ध में मार्गदर्शन करते हुए पंचायती राज अधिनियम 1994 एंव पंचायती राज नियम 1996 में परिवार के मुखिया की मृत्यु हो जाने पर पंचायतों द्वारा कुर्सीनामा/वारिसनामा/उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र जारी किये जाने का ग्राम पंचायतों को कोई प्रावधान नहीं होने बाबत, भू प्रबन्ध विभाग द्वारा जारी मिलान क्षेत्रफल सरपंच ग्राम पंचायत सिहोड़ी द्वारा प्राप्त वस्तुस्थिति की जॉच रिपोर्ट इत्यादि का अवलोकन कर निर्णय में अंकित किया है कि कालीचरण मुरलीधर का पुत्र है न कि गिरधारी का।

खातेदार गिरधारी पुत्र गंगासहाय जाति ब्राह्मण सा० देह के निःसंतान अविवाहित अवस्था में फौत होने पर पटवारी हल्का कोटडी सिमारला के द्वारा गिरधारी के वारिसान् के रूप में धर्मदत्त, भूपेन्द्र व सचिन पुत्रान रुडमल जाति ब्राह्मण सा० देह के नाम नामान्तकरण भरा जाना अंकित है। सरपंच ग्राम पंचायत सिहोडी ने कालीचरण को गिरधारी का दत्तक पुत्र मानकर किस आधार पर नामान्तकरण स्वीकार किया गया इसका नामान्तकरण पर कहीं भी कोई अंकन नहीं किया गया है। कालीचरण रिकार्ड से मुरलीधर का वास्तविक पुत्र होना प्रकट होता है तथा कालीचरण को गिरधारी पुत्र गंगासहाय की विरासत किस प्रकार से प्राप्त हुई। इसका कहीं भी कोई कारण या सजरा खानदान नामान्तकरण पर स्पष्ट अंकन नहीं किया गया है। जिससे यह सिद्ध होता हो कि कालीचरण ही मृत्तक गिरधारी पुत्र गंगासहाय का एकमात्र वारिस है। सरपंच ग्राम पंचायत सिहोडी के द्वारा, कालीचरण को गिरधारी लाल का दत्तक पुत्र मानते हुए विरासत का नामान्तकरण भरा जाकर सर्वसम्मति से नामान्तकरण संख्या 4

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

दिनांक 15.03.1988 को स्वीकृत किया जाना पंचों की बैठक की कार्यवाही के विवरण व रजिस्टर के पृष्ठ संख्या 42 व 43 से स्पष्ट रूप से प्रकट होता है।

ओमांशकर पुत्र बालाबक्स उर्फ बालूराम जाति बडवा गांव दूदू जिला जयपुर राजस्थान ने अपने द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र (हलफ नामा) में भी खण्डेलवाल ब्राह्मण (विप्र) समाज की पीढी दर पीढी (वंशावली) के आधार पर वंशवृक्ष हरिनारायण के बनाये गये सजरा खानदान में भी गिरधारी की पगडी सम्वत 2043 में बंधवाये जाने के शपथ पत्र में भी कालीचरण को मुरलीधर का पुत्र दर्शाया गया है जिसका गिरधारी के परिवार से कोई सम्बन्ध नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर ने अपीलाधीन निर्णय दिनांक 29.01.2024 द्वारा प्रस्तुत अपील नामान्तकरण को स्वीकार की जाकर तथा सरपंच, ग्राम पंचायत सिहोडी पंचायत समिति श्रीमाधोपुर जिला सीकर के नामान्तकरण संख्या 04 स्वीकृत नामान्तकरण दिनांक 15.03.1988 को खारिज कर तथा प्रकरण को भूमिधारी तहसीलदार श्रीमाधोपुर को रिमाण्ड किया जाकर आदेशित किया गया है कि वे प्रकरण में उभय पक्षकारान् को सुनवाई का समुचित अवसर दिया जाकर बाद सुनवाई गुणावगुण के आधार पर निर्णय पारित करने के आदेश पारित किये गये हैं, जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि प्रतीत नहीं होती है। अतः अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर के अपीलाधीन निर्णय दिनांक 29.01.2024 में हम हस्तक्षेप किया जाना उचित नही समझते हैं। ऐसी स्थिति में अपील अपीलांट्स सारहीन व बलहीन होने से खारिज योग्य है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर जिला नीमकाथाना हाल जिला सीकर के अपीलाधीन आदेश दिनांक 29.01.2024 को यथावत रखा जाता है।

(दीप्ति कछवाहा)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
अति0 संभागीय आयुक्त
जयपुर

निर्णय आज दिनांक 25.07.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

अति. संभागीय आयुक्त
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर